निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 24/2023
दायरा दिनांकः—20.06.2023
निर्णय दिनांकः— 25.9.24

उनवान

1 जुली बाई आयु 25 वर्ष पत्नि स्वर्गीय गोलु कुशवाह जाति काछी निवासी ग्राम रानी फर्म हाल निवास ऐजाज नगर छबडा तहसील छबडा जिला बारां राज0
2. प्रांची आयु 03 वर्ष पुत्री स्वर्गीय गोलु कुशवाह वली संरक्षक माता जुली बाई पत्नि स्वर्गीय गोलु कुशवाह जाति काछी निवासी ग्राम रानी फर्म हाल निवास ऐजाज नगर छबडा तहसील छबडा जिला बारां राज0

बनाम

1. नाथुलाल आयु 52 वर्ष पुत्र भूरालाल जाति काछी निवासी ग्राम रानी फर्म हाल निवास ऐजाज नगर छबडा तहसील छबडा जिला बारां राज0
2. धन्नालाल आयु 52 वर्ष पुत्र नाथुलाल जाति काछी निवासी ग्राम रानी फर्म हाल निवास ऐजाज नगर छबडा तहसील छबडा जिला बारां राज0
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारा राज0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0
निर्णय दिनांकः— 25.9.24
अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री बनवीर मेहता — प्रार्थी
2. श्री हेमराज कुशवाह — अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि वाके माल कछावन पटवार हल्का मूण्डला तहसील छबड़ा जिला बांरा राज० में प्रतिवादी कम 1 के खातेदारी में कृषि आराजी खाता संख्या 58 खसरा नंबर 101/8 कुल खसरा 01 रकबा 2.7949 हेक्टेयर अवस्थित है। उक्त आराजी में से प्रतिवादी कम 1 ने उक्त वादीया कम 1 के पति है व वादिया कम 2 के पिता है व जो प्रतिवादी कम 1 के पुत्र गोलू कुशवाह को काश्त करने हेतु दे दी थी ओर स्वर्गीय गोलू कुशवाह के द्वारा कर्ज लेकर उक्त अपने हिस्से की आराजी को उन्नत कृषि योग्य बनाई ओर अपने परिवार का पालन पोषण करता रहा है, वादियागण का पति व पिता अपने जीवन काल में उक्त आराजी पर अपने हिस्से पर काबिज काश्त रहा ओर उसके बाद गोलू कुशवाह की मृत्यु के बाद उक्त आराजी पर वादियागण काबिज काश्त रही ओर अपना व परिवार का पालन पोषण करती रही है। अप्रार्थी कम 1 ने उक्त आराजी को अपने दोनो पुत्रो को अपना हिस्सा काश्त करने व परिवार का भरण पोषण व अन्य व्यय भार अदा करने हेतु उक्त आराजी की पैदावार करने के लिए सभंला दी । अप्रार्थी क्रम 1 नाथू लाल के दो पुत्र गोलू कुशवाह व धन्नालाल व पुत्री राजबाई होने से प्रत्येक का हिस्सा 1/4 है, जिसमें से अप्राथी क्रम 1 नाथूलाल के पुत्र गोलू कुशवाह की मृत्यु

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

/08/2023 को हो जाने के बाद गोलू कुशवाह के 1/4 हिस्से की उक्त आराजी में वैपरित आधिपत्य के कारण प्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। अप्रार्थी कम । नाथूलाल के मन में बदनियति आ गई एंव अप्रार्थी क्रम 1 व 2 षडयंत्र रचकर उक्त सम्पूर्ण आराजी की किमते बढ़ जाने से अप्राथी क्रम 2 के पक्ष में हस्तान्तरण करने के लिए विधि विरूद्ध तरीके से दान पत्र तस्दीक करवा दिया अप्राथी क्रम 2 के पक्ष में इंतकाल खुलवाने पर आमदा है। यदि अप्राथी क्रम 1 ने उक्त अपने खाते दर्ज आराजी को हस्तातरित कर दी तो प्रार्थीया क्रम 2 को अपने पैत्रिक अधिकारों से वचित होना पडेगा एंव उन्हे विरासत की भूमि किसी भी रूप में प्राप्त नहीं होगी। उक्त कृषि आराजी मे प्रतिवादी कम 1 अपना हिस्सा 1/4 का ही वैधानिक अधिकारी है, व अन्य आराजी को बिना किसी बटवारे के हुए हस्तान्तरण करने का किसी प्रकार से अधिकारी नहीं है। वाद कारण दिनांक 17/04/2023 को उत्पन्न हुआ जब प्रथम बार वादिया क्रम 1 ने उक्त आराजी की नकल प्राप्त की ओर वादिया क्रम 1 ने प्रतिवादीगण से ऐसा कृत्य नहीं करने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण ने धमकी दी कि तू गोलू कुशवाह के हिस्से की आराजी से बेदखल होकर अपने पीहर चली जा हम सारी भूमि को हम हमारे कब्जे में ही रखगे है, तूझे व तेरी पुत्री को कुछ नहीं देगे तू इसमे किसी प्रकार का कोई दावा झगड़ा मत करना। मुताबिक धमकी अप्राथी कम 1 ने उक्त आराजी का दान पत्र से हस्तांतरण कर अप्राथी क्रम 2 के पक्ष में इंतकाल खुलवा लिया तो प्राथीयागण अपने वैधानिक अधिकारों से वंचित हो जायेगी ओर प्राथीयागण को अपरिमित क्षति होंगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी तरह से पूरी नही होगी इसलिए अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला वाद पाबंद फरमाना चाहती है।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थीया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम कछावन सम्वत् 2027–30 नकल जमाबन्दी ग्राम कछावन सम्वत् 2031–34 नकल जमाबन्दी ग्राम कछावन सम्वत् 2076–69 खाता संख्या 57 पेश की गई।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कछावन तहसील छबडा में स्थित है। जो प्रतिवादी क्रम 1 के खातेदारी में दर्ज है अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा विवादित आराजी अपने दोनो पुत्र गोली व धन्नालाल को अपना हिस्सा काश्त करने के लिए दें दी। अप्रार्थी क्रम 1 नाथुलाल के दो पुत्र व एक पुत्री होने से प्रत्येक का 1/4 हिस्सा है नाथुलाल के पुत्र गोलु की दिनांक 27.08.2023 को मृत्यु हो गई। गोलु की मृत्यु के बाद उसके हिस्से की भूमि पर प्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा सम्पूर्ण आराजी की अप्रार्थी क्रम 2 के पक्ष में नामान्तरण खुलवाने पर आमादा है प्रार्थीया क्रम 2 को अपने पैत्रक अधिकारों से वंचित होना पडेगा अप्रार्थी क्रम 1 अपना हिस्सा 1/4 का ही दान पत्र करवाने का अधिकारी है सम्पूर्ण भूमि का दान नही कर सकता है यानि दान पत्र का नामान्तरण अप्रार्थी क्रम 2 के पक्ष में तस्दीक कर दिया तो प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थीगण का कथन है कि विवादित आराजी अप्रार्थी क्रम 1 की स्वअर्जित आराजी थी जिसे दान रहन, बेचान करने का पूर्ण अधिकार है। अप्रार्थी क्रम 2 से समुचित प्रतिफल राशि प्राप्त कर दान किया गया है

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

मान में भूमि अप्रार्थी क्रम 2 के खातेदारी में दर्ज है विवादित आराजी पर अप्रार्थी क्रम 2 का कब्जा काश्त चला आ रहा है विवादित आराजी पर प्रार्थीगणका कभी कब्जा काश्त नही रहा है प्रार्थी द्वारा पैत्रक सम्पत्ति होना बताया है पैत्रक सम्पत्ति होने का कोई रिकार्ड पेश नही किया है विवादित आराजी स्वअर्जित होने से प्रार्थी का हिस्सा प्राप्त करने का कोई अधिकार नही है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से मय हर्जा खर्जा खारिज किया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम कछावन सम्वत् 2031–34 में नाथूलाल पुत्र भूरा काछी दर्ज रिकार्ड है नकल जमाबन्दी ग्राम कछावन सम्वत् 2076–69 खाता संख्या 57 में नाथुलाल पुत्र भूरालाल काछी दर्ज है इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के खातेदारी की है। प्रार्थीगण उक्त भूमि को पैतृक सम्पत्ति साबित करने में विफल रहे है। तथा अप्रार्थी क्रम 1 की स्वअर्जित सम्पत्ति में हिस्से के लिए दावा किया गया है। अतः प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होना साबित नही होता है। लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर ए एस
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा